UPAL010056242026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–02, अलीगढ़।
पीठासीन अधिकारी– तोष कुमार शर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा) –UP 6557

Anticipatory Bail Application--2600 /2026

दिनेश पुत्र विद्याराम निवासी–नगला प्रधान मानई थाना–अकराबाद जिला अलीगढ़

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–556 / 2024
अन्तर्गत धारा–191(2), 115(2),352, 351(2), 351(3),333, 76 बी.एन.एस.
थाना–अकराबाद, जिला–अलीगढ़

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र

यह उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त दिनेश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 556 / 2024 अन्तर्गत धारा–191(2), 115(2),352, 351(2), 351(3),333, 76 बी.एन.एस. थाना अकराबाद जिला अलीगढ में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 01.07.2024 को वादी को वादी के गांव के ही सुधाकर की समरसेविल पर गया था तो वहां पर गांव के ही ब्रजेश व अजीत आदि लोग आ गये और आते ही वादी से कहने लगे कि साले तूने हमारा नाम बताया है कि स्टाटर हम ले गये है तो प्रार्थी ने मना किया तो उपरोक्त लोग आगबूला हो गये और उसके साथ मारपीट व गाली गलौज की और जान से मारने की नीयत से लाठी डण्डो से मारा पीटा जिसकी शिकायत थाने पर की तो मुकदमा दर्ज हुआ। उसका अपराध संख्या– 361@2024 है। दिनांक 24.09.24 को वादी अपने घर से खेत की तरफ जा रहा था तो वहां पर उपरोक्त लोग घात लगा कर बैठे थे और प्रार्थी पर जान लेवा हमला कर दिया जिससे प्रार्थी के काफी चोटें आयी थी जो eq0v0l0&507@24 है जिसकी विवेचना प्रचलित है। घटना दिनांक 27.09.2024 की शाम करीब 05.00 बजे प्रार्थी विवेचक से अपने केस की पूछताछ के लिये थाना पर बुलाया था और अपनी बात चीत करके वापस घर जा रहा था जैसे ही प्रार्थी गांव के पास पहुंचा ही था विपक्षीगण ने उसे गंदी गंदी गालिया देते हुये रोक लिया और उसे लात घूसों से मारा पीटा जब वह घर भागा तो उपरोक्त लोग घर में घुस आये और उसे मारने पीटने लगे जब उसकी पत्नी बचाने आयी तो उसे भी मारापीटा और उसकी पत्नी के साथ अश्लील हरकत की और वादी के गले की सोने की चैन तोड़ ली और जेब में रखे 570 रूपये छीन लिये और उपरोक्त दिनेश ने जान से मारने की नीयत से वादी के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया जिससे वह बाल बाल बचा शोर पर गांव के लोग आ गये तो गाली गलौज करते हुये भविष्य में जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।

अभियुक्त / आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'दाण्डिक' को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त / आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त को गलत तथ्यों पर वादी द्वारा जमीन के बटवारे को लेकर दीवानी न्यायालय मे

ंचल रहे वादों में दवाब बनाने की नीयत से झूठा फंसा दिया गया है। प्राथमिकी 01 माह वाद दर्ज करायी गयी है परन्तु इस देरी का कोई कारण अभियोजन ने नहीं दिया है। पत्रावली पर कोई चिकित्सीय प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। घटना झूठी व मिथ्या है। अभियुक्त गरीब है तथा खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण कराता है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अतः अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाय।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का कड़ा विरोध किया गया है।

प्राथमिकी में जो आरोप वादी ने अभियुक्त पर लगाये है उसकी पुष्टि वादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 द0प्र0सं0 में की गयी है तथा उपरोक्त मामलें में अभियुक्त दिनेश के विरूद्व आरोपपत्र दाखिल हो चुका है जिस पर प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है तथा अभियुक्त के विरूद्व बी0डब्लू0 दस हजार जारी है तथा अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से वादी के ऊपर तमंचे से फायर किया है जो कि मामलें का मुख्य आरोपी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अपराध की गम्भीरता तथा मामलें के तथ्य एवम् परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तदनुसार अभियुक्त दिनेश की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 556/2024 अन्तर्गत धारा–191(2), 115(2),352, 351(2), 351(3),333, 76 बी.एन.एस. थाना अकराबाद जिला अलीगढ **खारिज** किया जाता है।

दिनांक–09.06.2026

(तोष कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–02, अलीगढ़।
UP 6557